न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 20/2019 **(75 एल.आर.एक्ट)**

उनवान

1. तीजा पत्नि छीतरमल जाति माली निवासी बडागांवा तहसील बानसूर हाल निवासी थानागाजी, तहसील थानागाजी, जिला अलवर राज0,

..... अपीलांट

बनाम

1. तहसीलदार थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 ।

..... रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :– 26.11.2019

यह अपील विद्वान अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के निर्णय दि0 15.01.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार थानागाजी के आदेश दि0 04.10.2017 जिसके तहत अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए ग्राम थानागाजी की गै0 मु0 शमशान भूमि के आराजी खसरा नंबर 2301/0.03 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)ने अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को तलब किया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की बहस सुनी। अपील के तथ्यों को ध्यान में रखकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार थानागाजी के आदेश दिनांक 04.10.2017 को यथावत रखते हुये दिनांक 15.01.2019 को अपील अपीलांट खारिज कर दी जिस निर्णय दि0 15.01.2019 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । तहत अदालत की पत्रावली तलब की जाकर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजी ग्राम थानागाजी की गै0 मु0 शमशान भूमि के आराजी खसरा नंबर 2301/0.03 है0 पर अपीलांटान का कब्जा होना जाहिर किया है। अपीलांट को धारा 91(7) भू राजस्व अधिनियम के तहत पश्चातवर्ती

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

अतिक्रमण का कोई नोटिस नही दिया फिर भी अपीलांट को बिना सूचना, बिना सुनवाई का अवसर दिये विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। पश्चातवर्ती अतिक्रमण अपीलांट ने नही किया यानि पूर्व में अपीलांट को बेदखल नही किया गया फिर भी तहत अदालत ने केवल मात्र पटवारी हलका के बयानों के आधार पर ही पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 02 माह सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित करने के लिये तहत अदालत में पूर्व वाले बेदखली के निर्णय की प्रति पेश करना आवश्यक होता है जिसके अभाव में तहत अदालत द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानना विधि विरूद्ध है। अपीलांट ने कोई अतिक्रमण नही किया है। पटवारी हलका ने गलत तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट तहत अदालत में पेश की है। साथ ही निर्णय करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नही दिया गया। सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी खसरा नंबर 2301 बडा रकबा है जिसमें से 0.03 है0 का अपीलांट को अतिक्रमी माना है। यह रकबा किस तरफ का है यह भी पटवारी हलका की रिपोर्ट में नही खोला गया है। जबकि माननीय राजस्व मंडल की नजीरों के अनुसार बडा रकबा में से कुछ रकबा पर अतिक्रमण किया है तो पटवारी हलका को स्पष्ट रूप से चिन्हित करना पडेगा कि आराजी के किस तरफ के हिस्से पर अतिक्रमण हुआ है। तहत अदालत द्वारा पटवारी हलका से जिरह का अवसर नही दिया गया जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना हुई है। तहत अदालत द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व ना तो मौका देखा ना ही मौके की रिपोर्ट तलब की और महज पटवारी हलका की गलत रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है।

तहत अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट द्वारा लिये गये अपील के तथ्यो एवं बहस के दौरान पेश कानूनी नजीरों को नजरअंदाज कर निर्णय में विवेचन किये बिना निर्णय पारित किया है। प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी पर कब्जा नही होने बाबत शपथ पत्र भी पेश कर दिया था। अतः अधीनस्थ न्यायालय के दोनों निर्णय निरस्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 का कथन है कि विवादित आराजी सरकार की है जिस पर उन्हें अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट ने भूमि पर अतिक्रमण किया है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किये हैं । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें ।

हमने विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार थानागाजी के निर्णय दिनांक 04.10.2017 को यथावत रखते हुए अपीलांट को दो माह के सिविल कारावास व जुर्माने व बेदखली के आदेश को यथावत रखा है । इस क्रम में पत्रावली के अवलोकन करने से जाहिर होता है कि अपीलांट ने सरकारी आराजी पर कब्जा किया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का बेदखली आदेश न्यायोचित है ।

तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट का विवादित आराजी पर अतिक्रमण नही है एवं वर्तमान में भूमि खाली अंकन किया है जो उनके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की ताईद करती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने सजा पर किया गया निर्णय त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त योग्य है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज.)

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्वान अति० जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर का निर्णय दि0 15.01.2019 व तहसीलदार थानागाजी का आदेश दिनांक 04.10.2017 सिविल कारावास की सजा की सीमा तक निरस्त किये जाते है तथा शेष निर्णय यथावत रहेगा। खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना) 26.11.19
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)